Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Registration Certificate

Registration Details	
E-Registration Number	MP179142018A1816575
Registration Date	20/12/2018
Date of Printing e-Registration Certificate	20/12/2018
Market Value of Property (If Applicable)	1242000
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	270000
Registration Fee (Rs.)	10180
Total Stamp Duty (Rs.)	14931
SR Name	HARJEET THAKUR
SRO Name	SUB REGISTRAR OFFICE INDORE 3

Lessor-Authenticated PoA Holder

Organisation Name	कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर
Authorized Person's Name	श्री सत्यस्वरूप सिंह भदौरिया
Address	प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर, INDORE, Madhya Pradesh, INDIA

Organisation Name	कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर
Authorized Person's Name	श्री अनिल अग्रवाल
Address	प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर

Lessee-Self

Name	रविन्द्र सिंह भदौरिया
Father/Husband's Name	श्री भगवंत सिंह भदौरिया
Address	5/5, पुलिस लाईन, पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) , INDORE, Madhya Pradesh, INDIA

Signature of Sub-Registrar

UBI IDA

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details			
E-Stamp Code	01011704122018001748		
Total E-Stamp Amount	14931		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	13573	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	1358
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	04/12/2018 12:18:12		
Service Provider or Issuer Details	Ashverya Goswami/SP011743007201500957		
SP/SRO/DRO/HO Details	309, Anukul Apartment, 4/2, Snehlataganj, Indore MP INDORE INDORE		

Deed Details	
Deed Type	Lease Deed
Deed Instrument	Lease / Leave and License or Conducting license, including an under lease, or sub lease and any agreement to let or sub let or any renewal of lease other than mining lease Ð where the lease purports to be for a period of thirty years or more, or in perpetuity, or does not purport to be for a definite period. - Five percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
Purpose	लीजडीड

First Party Details	
Organization Name	श्री अनिल अग्रवाल By(Authenticated PoA Holder) श्री सत्यस्वरूप सिंह मदौरिया
Address	प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर
Number of Persons	1

Second Party Details	
Name	रविन्द्र सिंह मदौरिया
Address	5/5, पुलिस लाईन, पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)
Number of Persons	1

इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्रमांक 136 सेक्टर-B के प्लाट क्रमांक 33 (आवासीय) का लीजडीड/पट्टा अभिलेख

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

प्रीमियम रूपए 2,70,000/-
प्रथम वर्ष का लीजरेंट रूपए 810/-
आगामी वर्ष के लिये सालाना लीज का आकार रूपए 162/-

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर
प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर

इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्रमांक 136 सेक्टर-B के प्लाट क्रमांक 33 (आवासीय) का लीजडीड/पट्टा अभिलेख
(प्रथम लीज अवधि दिनांक 20-12-2013 से दिनांक 19-12-2043 तक)

संदर्भ क्रमांक: 13610492
जावक क्रमांक: 1210
दिनांक: 01 दिसम्बर 2018

1-इन्दौर विकास प्राधिकरण 7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर तर्फे संपदा अधिकारी जो कि मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा अधिकृत है (जिन्हे आगे प्राधिकारी (प्रथम पक्ष) के नाम से संबोधित किया गया है इस संज्ञा में प्राधिकरण के उत्तरधिकारी हितधारी आदि भी समाविष्ट है) तथा श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया पिता श्री भगवत सिंह भदौरिया, निवासी - 5/5, पुलिस लाईन, पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) (जिन्हे आगे लीजगृहिता (द्वितीय पक्ष) के नाम से संबोधित किया है व इस संज्ञा में इनके उत्तरधिकारी, हितधारी, असाइनी आदि भी समाविष्ट है।)

2-यह कि, प्रथम पक्ष इन्दौर विकास प्राधिकरण, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत स्थापित एवं धारा 39 के अंतर्गत निगमित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी है। धारा 38(2) के प्रावधानानुसार नगर विकास योजनाए निर्मित एवं क्रियान्वयन हेतु कर्तव्यबद्ध है। प्राधिकारी द्वारा इन्दौर शहर का विकास आवासीय, वाणिज्यक एवं अन्य आधारभूत विकास के माध्यम से किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा शहर के उत्तरी क्षेत्र में एक आवासीय क्षेत्र योजना क्रमांक 136 के नाम से विकसित किया जा रहा है।

3-यह कि, प्राधिकारी द्वारा संचालक मण्डल की बैठक में संकल्प क्रमांक 241 दिनांक 05.11.2007 तथा संकल्प क्रमांक 271 दिनांक 18.12.2007 में पारित में प्रस्ताव के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार योजना क्रमांक 136 में स्थित भूखण्डों के व्ययन के लिये निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से प्रचलित गाइड लाइन वर्ष 2008-09 के मूल्यानुसार भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

4-यह कि, द्वितीय पक्ष के आवेदन पत्र का चयन लॉटरी के माध्यम से होने से उसे प्राधिकारी की उक्त योजना क्रमांक 136 सेक्टर-B में स्थित भूखण्ड क्रमांक 33 दिनांक 16/07/2013 को आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड सामने 4.50 मीटर, पीछे 4.50 मीटर, एक बाजू 12.00 मीटर, दूसरी बाजू 12.00 मीटर का होकर

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Presentation Seal:

रविन्द्र सिंह भदौरिया S/O श्री भगवंत सिंह भदौरिया

के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 20/12/2018 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 12:25:37 बजे प्रस्तुत किया गया।

HARJEET THAKUR
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 3

कुल क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर है। उक्त भूखण्ड की चतु:सीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व में::भूखण्ड क्रमांक 34 योजना क्रमांक 136
पश्चिम में ::भूखण्ड क्रमांक 32 योजना क्रमांक 136
उत्तर में::भूखण्ड क्रमांक 28 योजना क्रमांक 136
दक्षिण में::7.50 मीटर वाईड रोड

5-यह कि, उक्त भूखण्ड का न्यूनतम कुल प्रीमियम (प्रचलित गाईड लाईन वर्ष 2008-09 के अनुसार) रूपये 2,70,000/- (शब्दो में दो लाख सत्तर हजार मात्र) है जिसका भुगतान लीजगृहिता द्वारा किया गया है।

6-यह कि, लीजगृहिता द्वारा प्राधिकारी को वार्षिक भू-भाटक (लीजरेंट) रूपये 162/- अथवा प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित भू-भाटक (लीजरेंट) की दर से वार्षिक भू-भाटक (लीजरेंट) का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दिनांक 30 जून तक करना होगा। भू-भाटक (लीजरेंट) का भुगतान नियत तिथि तक नही करने की दशा में लीजगृहिता का प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लिये निर्णय अनुसार ब्याज/शास्ति का भुगतान करना होगा।

7-उपरोक्त भूखण्ड प्राधिकारी द्वारा आवासीय उपयोग हेतु प्रथमतः 30 वर्ष की अवधि कि लिये भूखण्ड लीज पर लीजगृहित को दिया गया है। लीज अवधि, लीजगृहिता द्वारा प्राधिकारी से कब्जा प्राप्ति दिनांक से प्रारंभ होगी। प्रथम 30 वर्ष की पूर्णता दिनांक 19-12-2043 को होगी। इसके बाद सदर लीज का नवीनीकरण 30-30 वर्ष की अवधि के लिये दो बार किया जा सकेगा। नवीनीकरण के समय 50 प्रतिशत तक लीजरेंट प्रत्येक बार प्राधिकारी द्वारा बढाया जा सकेगा। प्रत्येक नवीनीकरण के समय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त शर्ते आरोपित करे या वर्तमान शर्तो में संशोधन करे जो वह उचित समझे। लीज नवीनीकरण का दस्तावेज आवंटिती को स्वयं के व्यय से पंजीकृत कराकर 30 दिवस में प्राधिकारी के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।

8-यह कि, उक्त भूखण्ड का कब्जा लीजगृहिता द्वारा दिनांक 20-12-2013 को मौके से प्राप्त किया गया है। कब्जा प्राप्त करने की दिनांक से लीजगृहिता भूखण्ड के संरक्षण के लिये स्वयं उत्तरदायी रहेगा। लीजगृहिता भूखण्ड के कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 6 माह की अवधि में भवन निर्माण का नक्क्षा नगर निगम से स्वीकृत करवाकर स्वीकृत नक्क्षे की प्रति प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण करके उसकी लिखित सूचना भी प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

9-यह कि, लीजगृहिता द्वारा नक्क्षा स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा विकास कार्य उक्त भूखण्ड पर नही किया जावेगा एवं भवन निर्माण का नक्क्षा भूखण्ड के आवंटन आदेश तथा लीजडीड के उल्लेखित प्रयोजन के अनुरूप होना अनिवार्य है तथा ऐसा प्रत्येक निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्क्षे के विपरित अथवा लीजडीड में उल्लेखित शर्तो के विरूद्ध हुआ है तो उसे अनाधिकृत माना जावेगा। ऐसे सभी अनाधिकृत निर्माण अथवा विकास कार्य को हटाने का अधिकार प्राधिकारी के पास होगा।

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Admission Seal:

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर	Represented By:-	श्री अनिल अग्रवाल By(Authenticated PoA Holder) श्री सत्यस्वरूप सिंह भदौरिया	Address: प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर

स्वीकार करते हैं कि कथित पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 20/12/2018

HARJEET THAKUR
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 3

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

MP179142018A1816575 | 010117041220180001748

10-यह कि, लीजगृहिता उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन आदि का उपयोग सिर्फ आवासीय प्रयोजन के लिये कर सकेंगे, किसी भी प्रकार का अन्य उपयोग आवंटन एवं लीजडीड की शर्तो का उल्लंघन माना जाकर प्राधिकारी को इस आधार पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11-यह कि, भवन का निर्माण एवं उपयोग इन्दौर नगर के मास्टर प्लान, झोनल प्लान व झोनिंग रेग्युलेशन के तथा म.प्र. भूमि विकास नियमों के प्रावधनों एवं इन्दौर नगर पालिका निगम द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा तथा इस संबंध में समुचित कार्यवाही/शर्तो का पालन करने का दायित्व लीजगृहिता का रहेगा।

12-प्राधिकारी अपनी किसी विशिष्ट योजना में निर्माण के संबंध में बाहरी बनावट के संबंध में कोई निर्णय लेता है तो उसका लीजगृहिता को पालन करना होगा।

13- यह कि, प्राधिकारी योजना में पानी की सप्लाई हेतु बाहरी पाईप लाईन की व्यवस्था अपने खर्चे से करेगा किन्तु भवनों के अंदर लीजगृहिता चाहे तो उसकी लागत पर पाइप कनेक्शन दिया जावेगा। उक्त लागत इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी। पानी सप्लाई में रूकावट या किसी प्रकार से सप्लाई नही हो पाने पर लीजगृहिता इन्दौर विकास प्राधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम करने का अधिकारी नही होगा। लीजगृहिता द्वारा पानी का कनेक्शन इन्दौर नगर निगम से स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।

14-लीजरेंट, ब्याज एवं भूखण्ड से संबंधित किसी अन्य प्रकार की कोई भी देय राशि 6 माह से अधिक समय तक बकाया रहने पर प्राधिकारी को लीज निरस्त करने अथवा बकाया राशि भू-राजस्व के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा।

15-उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन अथवा विकास कार्य का अंतरण/विक्रय आवंटन की दिनांक से/15 वर्षो तक प्रतिबंधित रहेगा। 15 वर्ष की अवधि के पूर्व अंतरण/विक्रय करने की स्थिति में भूखण्ड प्राधिकारी को समर्पित करना होगा। भूखण्ड समर्पण की दशा में मूल राशि प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी एवं प्रचलित नियमानुसार ही लौटाई जायेगी एवं किसी भी दशा में लीजगृहिता द्वारा भूखण्ड किये गये कुल लीज प्रीमियम की राशि से अधिक नही होगी। लीजरेंट एवं ब्याज की रकम किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी । प्राधिकारी को समर्पित भूखण्ड को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को प्रचलित नियमानुसार पुनः आवंटित करने का अधिकार होगा।

16-लीजगृहिता द्वारा यदि भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के उपरांत भी यदि निर्मित भवन एवं भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन की तिथि से 15 वर्ष उपरांत अंतरण करना चाहे तो इस संबंध में प्रचलित नियमों के तहत् भूखण्ड अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।

17-यह कि, लीजगृहिता की मृत्यु होने की दशा में भूखण्ड का नामांतरण केवल वैध वारिसों के नाम पर इस संबंध में प्राधिकारी समय-समय पर जारी विभिन्न नियम, दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Witness Seal:

JITENDRA SINGH BHADORIYA	S/O BHAGWANT SINGH JI	Address: 5/2,PALASIA POLICE LINE INDORE(M.P)
SAROJ SINGH BHADORIYA	W/O JITENDRA JI	Address: 5/2,PALASIA POLICE LINE INDORE(M.P)

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 20/12/2018

HARJEET THAKUR
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 3

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

MP179142018A1816575 | 01011704122018001748

18-भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु भूखण्ड किसी वित्तीय संस्था, बैंक आदि के पास यदि गिरवी अथवा बंधक रखना आवश्यक हो तो उसके लिये लीजगृहिता द्वारा प्राधिकारी को आवेदन करने पर इसके लिये नियमानुसार शुल्क जमा करने पर तथा प्रतिवर्ष लीजरेंट तथा लीजगृहिता द्वारा दिये समस्त बकाया मूल राशि मय ब्याज के जमा करने का भार सर्वोपरि रखने की शर्त पर इजाजत दी जा सकेगी।

19-यह कि, लीजगृहिता को भूखण्ड एवं उस पर निर्मित मकान का गंदा पानी भूमिगत गटर से संबंध करना होगा एवं उसके लिए नियमानुसार कनेक्शन चार्जेस प्राधिकारी में जमा करने होंगे। जहाँ भूमिगत गटर चालू नही है, वहाँ लीजगृहिता स्वयं के व्यय से सेप्टिक टेंक का निर्माण करेगा। इसी प्रकार लीजगृहिता को नल कनेक्शन भी नियमानुसार नगर निगम से प्राप्त करना होगा।

20-यह कि, लीजगृहिता सम्पत्ति कर, जल कर एवं अन्य सभी प्रचलित करो का भुगतान नगर निगम/शासन को नियमानुसार समय-समय पर अदा करेगा।

21-यह कि, लीजगृहिता द्वारा भूखण्ड पर अथवा भूखण्ड पर निर्मित भवन में ज्वलनशील वस्तुएं एकत्रित नही करेगा। लीजगृहिता उक्त भूखण्ड पर अथवा उस पर निर्मित भवन में किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियाँ अथवा जन सामान्य की शांति भंग करने वाला कोई कार्य न तो स्वयं करेगा व नही किसी को करने देगा।

22-यह कि, लीजगृहिता द्वारा आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर लीजगृहिता द्वारा जमा की गई राशि प्राधिकारी द्वारा राजसात की जाकर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

23-यह कि, लीजगृहिता प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न नियम, दिशा निर्देशो, लीजरेंट की दर तथा अन्य प्रतिबंधो एवं शासन के जो नियम विनियम वर्तमान में प्रचलित है अथवा भविष्य में समय-समय पर बनाये जावेंगे तथा शासन द्वारा निर्मित व्ययन नियम-2013 जो राजपत्र में दिनांक 29-06-2013 में प्रकाशित है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियम विनियम लीजगृहिता पर बंधनकारक होंगे तथा उनका वह पूर्णतः पालन करेगा।

24-यह कि लीजरेंट, ब्याज अथवा कोई भी मांग किसी भी समय बकाया रहने पर एवं उक्त मांग देय दिनांक से एक केलेंडर माह पश्चात् तक अदा नही करने अथवा आवंटन तथा लीजडीड वर्णित शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या पालन नही करने की दशा में प्राधिकारी को लीज निरस्त कर भूखण्ड पर पुनःप्रवेश का अधिकार होगा। प्राधिकारी को ऐसी स्थिति में पुनःप्रवेश की तिथि से 3 माह के पश्चात् भूखण्ड पर के समस्त भवन एवं निर्माण कार्य हटाने का अधिकार होगा।

25-यह कि, लीजगृहिता लीजडीड का रजिस्ट्रेषन आवश्यक स्टाम्प पर अपने खर्च से करवायेगा तथा रजिस्ट्रेशन के पश्चात् रजिस्टर्ड लीजडीड की सत्यापित फोटोकॉपी 30 दिन के अंदर प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

Thumb Impression Seal:

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री अनिल अग्रवाल By(Authenticated PoA Holder) श्री सत्यस्वरूप सिंह भदौरिया के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 20/12/2018 को लिया गया ।

HARJEET THAKUR
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 3

इस दस्तावेज के निष्पादक रविन्द्र सिंह भदौरिया S/O श्री भगवंत सिंह भदौरिया के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 20/12/2018 को लिया गया ।

HARJEET THAKUR
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 3

Witness Seal:

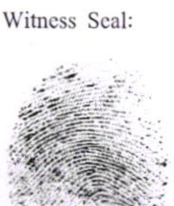

JITENDRA SINGH
BHADORIYA

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

MP179142018A1816575 | 01011704122018001748

यह विलेख इंदौर विकास प्राधिकरण इन्दौर के सम्पदा अधिकारी श्री अनिल अग्रवाल के द्वारा निष्पादित किया गया होकर विलेख में इनके हस्ताक्षर है तथा इनके द्वारा प्रमाणीकरण आममुख्त्यारनामा जिसका ई-पंजीयन क्रमांक MP179142018A4743559 दिनांक 05-11-2018 के तहत अधिकृत श्री सत्यस्वरूप सिंह भदौरिया उपपंजीयक कार्यालय इन्दौर में दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत करेंगे और दस्तावेज के पंजीयन हेतु अपने हस्ताक्षर फोटो एवं अंगुष्ठ चिन्ह लगायेंगे ।

---------------Please turn over/क्रप्या पृष्ठ पलटिये।---------------

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Witness Seal:

SAROJ SINGH
BHADORIYA

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

MP179142018A1816575 | 010117041220180017 48

मै/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठो के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 11289161 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011704122018001748 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरो से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

पथम पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :
संपदा अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :
श्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया पिता श्री भगवतसिंह भदौरिया

अन्य पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

गवाह 1 का नाम सरोज सिंह भदौरिया
पता पलासिया, इन्दौर
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
आधार नं. 3142 7990 9442

गवाह 2 का नाम जितेन्द्र सिंह भदौरिया
पता 5/2 ... पलासिया इन्दौर
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
आधार नं: 6492 5619 5986

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Stamp Duty Seal:

स्टाम्प शुल्क	13573
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	1358
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	14931

HARJEET THAKUR
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 3

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

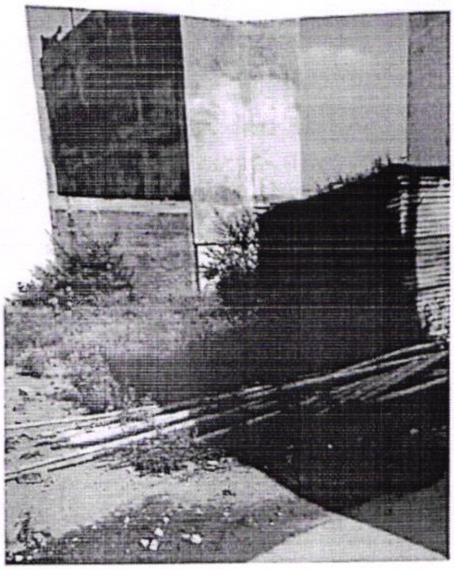

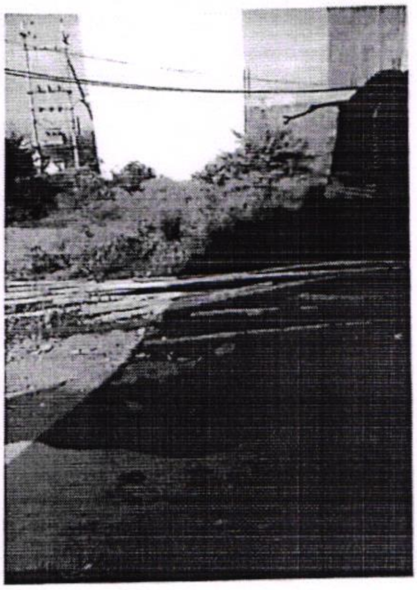

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY INDORE

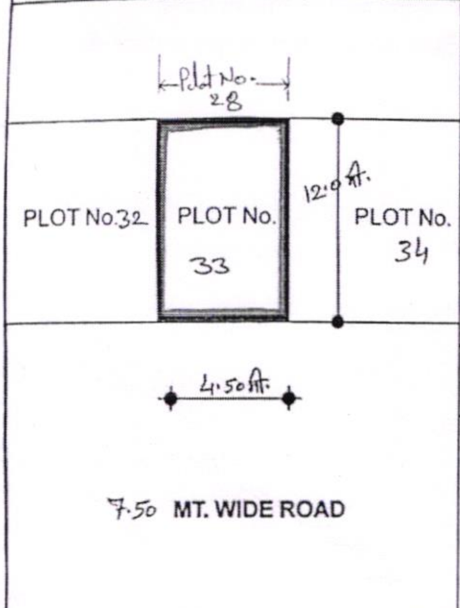

SITE PLAN	
PLOT No.	33
TYPE	–
SECTOR	B
SCHEME No.	136
BOUNDARY OF PLOT SHOWN AS	▭
PLOT AREA	54.00 वर्ग मीटर
NOTE : BUILDING PERMISSION AS PER M.P. BHUMI VIKAS NIYAM 1984	
LEASSEE	RAVINDRA SINGH BHADORIA 5/5 POLICE LINE PALASIA INDORE
NOT TO THE SCALE	×

Row type/semi detached/Detached
Special Condition regarding F.A.R.
Coverage (if any)....×...

No. 33

DRAWN BY	ASSISTANT ENGINEER	ESTATE OFFICER

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Registration Seal :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 20/12/2018 को क्रमांक MP179142018A1816575 दे कर किया गया है। जिसमें 20 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	14931

पंजीयन शुल्क	10180
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	10180

HARJEET THAKUR
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 3

CERTIFIEDCOPY07122023118808598

MP179142018A1816575 | 01011704122018001748